न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या:– 228 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. शांतिलाल दत्तक पुत्र सेसाराम जाति घाची निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. कमला पत्नी धीसाराम जाति घाची निवासी जोधपुरिया गेट के बाहर, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थिति:–

01. श्री देवेन्द्र व्यास, श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक :– 15/12/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत में स्थित खाता संख्या 761 के खसरा नम्बर 1655 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1656 रकबा 1.8800 हैक्टर, खसरा नम्बर 1657 रकबा 3.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1658 रकबा 2.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1659 रकबा 2.1800 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 9.3400 हैक्टर की भूमि प्रार्थी संख्या 1 की एकमात्र मालिकाना हक हकूक एवं कब्जा की आई हुई स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 के गोद पिता सेसाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित थी तथा सेसाराम का वर्ष 1992 में स्वर्गवास हो गया जिनके उतराधिकारी वारिसान में पत्नी दाखु व पुत्रीयां फुटरीया, गेरकी, कमला व पुत्र प्रार्थी संख्या 1 हुए जिसमें से दाखु का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थी संख्या 1 की माता फुटरीया का वर्ष 2006 में स्वर्गवास हो चुका हैं, गेरकीदेवी द्वारा उक्त भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 को हकतर्क कर दिया जिससे गेरकी का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा तथा प्रार्थी संख्या 1 की माता का स्वर्गवास हो जाने से उनका हक हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 में निहित हुआ जिससे उक्त कृषि भूमि में दाखुदेवी के स्वर्गवास पश्चात प्रार्थी संख्या 1 में हिस्सा निहित हुआ। जिस संपुर्ण भुमि पर प्रार्थी संख्या 1 वादस्थ भूमि पर काबिज काश्त होकर बहैसियत खातेदार के उपयोग उपभोग करता आ रहा है जिसमें कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 व उसके वारिसान द्वारा उज एतराज नहीं किया गया हैं लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो चुकी है व येनकेन प्रकारेण प्रार्थी संख्या 1 को अपनी माता फुटरीयादेवी व गौद माता दाखुदेवी से प्राप्त हक हिस्से को लाठी लकड़ी के बल पर हड़प करना चाहती है जिसका कि अप्रार्थी संख्या 1 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है इसी नियत से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध गलत रूप से वादस्थ भूमि में अपना 1/3 हिस्सा क्लैम कर खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का वादस्थ भूमि में कतई 1/3 हिस्सा नहीं बनता हैं मात्र अप्रार्थी संख्या 1 लाठी लकड़ी के बल पर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि व अपनी माता दाखुदेवी व जायन्दा माता फुटरीया देवी से प्राप्त हक हिस्से व गेरकीदेवी से जरिये हकतर्क में प्राप्तसुदा भूमि को हड़पना चाहती हैं जिसका कि अप्रार्थी संख्या 1 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। स्व0 सेसाराम के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी संपुर्ण चल अचल सम्पति गोदी पुत्र शांतिलाल को प्रदत्त कर दी थी, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 को कोई उज्ज एतराज कभी भी नहीं रहा। सेसाराम की मृत्यु पश्चात राजस्व अधिकारीयों की त्रुटि से अप्रार्थी संख्या 1 एवं सभी वारिसान का नाम इन्द्राज हो गया। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 एवं सभी वारिसानो ने प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में परिवार समाज के मौजिज सख्सयान की उपस्थिति में कहा कि उक्त भुमि प्रार्थी संख्या 1 की ही है तथा वक्त जरूरत जमाबंदी से नाम हटवाने बाबत

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

भी उचित कार्यवाही होगी वह कर दी जावेगी। लेकिन समय के साथ दाखु देवी एवं फुटरिया देवी की मृत्यु हो गयी लेकिन उन्होने भी अपने जीवनकाल में ही उक्त भुमि प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर कब्जा प्रार्थी संख्या 1 का ही माना था तथा वास्तविकता में सेसाराम की मृत्यु के पश्चात से वाद में वर्णित तमाम भुमि पर प्रार्थी संख्या 1 ही काबिज है तथा उपयोग उपभोग बहैसियत मालिक के करता आ रहा है। गेरकी देवी द्वारा दिनांक 04/09/2023 को हकतर्कनामा भी निष्पादित कर दिया उसी रोज गेरकी देवी एवं शांतिलाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को भी हकतर्कनामा निष्पादित करने का कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने बीमार होने का बहाना कर कहा कि मैं बाद में कर दूंगी, कहकर टालम टोल कर दिया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का वादस्थ भुमि के एक इंच भुमि पर कब्जा कभी भी नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का संपुर्ण हिस्सो की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग निरन्तर चला रहा है तथा प्रार्थी संख्या 1 द्वारा संपुर्ण हिस्से की भूमि पर लाखो रूपयें विनियोजित कर उपजाउ योग्य बनाया हैं, तथा आज भी प्रार्थी संख्या 1 मौके पर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत करने के पश्चात निरन्तर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व गोदमाता दाखुदेवी से प्राप्त माफिक हिस्सा व जायन्दा माता फुटरीया देवी से प्राप्त सम्पूर्ण हक हिस्से व गेरकी देवी से प्राप्त हिस्से पर नाजायज रूप से कब्जा कर प्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त में दखल उत्पन्न करने को उतारू रहती हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व सेसाराम ने ही अपने जीवनकाल मे गोदनामा लिखवाते समय ही संपुर्ण सम्पति प्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्द कर दी थी तथा समाज की राव की बहि में लिखत कर दी थी। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पति के हस्ताक्षर है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 एस्टोप्ड है अप्रार्थी संख्या 1 अब उक्त भुमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा क्लेम कानूनन नहीं कर सकती है। काउण्टर वाद में वर्णित वादस्थ कृषि भुमि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी, कब्जा काश्त की है। इसलिए प्रार्थी वादस्थ भूमि का संपुर्ण हक हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा राजस्व अधिकारीयों के द्वारा राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवंश दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 के इन्द्राज को हटवाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी के पिता सेसाराम के द्वारा प्रार्थी को गोद लेते समय सामाजिक रीति रिवाज से राव की बही में यह इन्द्राज करवाया कि उसकी तमाम चल अचल सम्पति का एकमात्र मालिक प्रार्थी ही रहेगा सेसाराम की मृत्यु पश्चात से वादस्थ भुमि पर एकमात्र मालिकाना हक एवं कब्जा एवं उपयोग उपभोग प्रार्थी का ही है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अप्रार्थी संख्या 1 विधि विरूद्ध तरीके से लाठी लकड़ी के बल पर अवैध कब्जा कर राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि को आधार बनाकर अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण करने को आमादा है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने उक्त विधि विरूद्ध कृत्य को कारित करने में सफल हो जाती है तो प्रार्थी को होने वाली अपूर्णिय क्षति का मूल्याकंन कदापि रूपयो में नहीं आंका जा सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर ताफैसला मूल वाद के अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वर्णित वादस्थ भूमि में प्रार्थी के हक हकुक कब्जा काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करें तथा प्रार्थी को वादस्थ भूमि से बेदखल नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ भुमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अवैध कब्जा न तो स्वंय करें न अन्य से करावें तथा वादस्थ भुमि का अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी नौकर, एजेन्ट इत्यादि से करावे मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की एकमात्र मालिकाना हक हकूक एवम् कब्जा काश्त की कतई आई हुई स्थित नहीं है तथा यह लिखना भी गलत है कि सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है, जबकि वास्तविकता में उक्त वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 एक कमलादेवी के पिता स्व. सेसाराम की हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्त की भूमि थी, जिनका निंवसीयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उक्त वर्णित कृषि भूमि स्व. सेसाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारीयो में

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हिस्सा बराबर बराबर निहित होकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गई। सेसाराम जी का वर्ष 1992 में निंवसीयती स्वर्गवास के पश्चात् बतौर उतराधिकारी पत्नी दाखु देवी पुत्रीयों फुटरीया, गैरकी, कमला व गोदीपुत्र शांतिलाल हुये। दाखु देवी का भी निंवसीयती स्वर्गवास हो चुका है, जिसका हिस्सा भी फुटरीया, गैरकी, कमला व शांतिलाल में निहित हो चुका है। गैरकी देवी के द्वारा उक्त वादस्थ कृषि भूमि में से अपना 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का हकतर्कनामा दिनांक 04/09/2023 को प्रार्थी के पक्ष में तहरीर व तकमील कर उप–पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में पंजीबद्ध करवाया, जिस हकतर्कनामे पर प्रार्थी शांतिलाल के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर हकतर्कनामे में वर्णित तथ्यो को बखुबी स्वीकार किया, जिस हकतर्कनामे के दस्तावेज से यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि दाखु देवी व फुटरीया देवी के निंवसीयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उक्त वादस्थ कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा गैरी देवी का 1/3 हिस्सा व शांतिलाल का 1/3 हिस्सा खातेदारी, कब्जा काश्त का आता है, जिस हकतर्कनामे के दस्तावेज से प्रार्थी एस्टोप्ड है, जिसके विपरीत जाकर कथन करने का प्रार्थी को कोई कानूनन हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरी देवी के द्वारा अपना हक हिस्सा प्रार्थी को हकतर्क किये जाने के पश्चात् गैरी देवी का वादस्थ कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नहीं रहा। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि प्रार्थी संख्या 1 की माता का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उनका हक हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 में निहित हुआ तथा यह लिखना भी गलत है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में दाखु देवी के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थी संख्या 1 में निहित हुआ। प्रार्थी की माता फुटरीया देवी के द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने एकमात्र पुत्र शांतिलाल को सेसाराम को गोद दिये जाने के पश्चात् शांतिलाल सेसाराम का गोदीपुत्र हुआ, जिसके पश्चात् प्रार्थी का फुटरीया देवी के हक हिस्से की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा बतौर पुत्र की हैसियत से निहित नहीं रहता है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त होकर बहैसियत खातेदार के उपयोग व उपभोग करता आ रहा है, जबकि 1/3 हक हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 कमलादेवी का कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है, जिस हक हिस्से का उपयोग एवम् उपभोग अप्रार्थी संख्या 1 एक बतौर खातेदार के काबिज काश्त चली आ रही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 एक वादस्थ कृषि भूमि की रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 एक व उसके वारिसान द्वारा उज्ज एतराज नही किया गया, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 एक के द्वारा कई बार वादस्थ कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस एवम् माफिक कब्जा अनुसार बंटवाड़ा करवाये जाने हेतु कई बार निवेदन किया, लेकिन प्रार्थी जानबुझकर वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने से हमेशा टालम टोल करता रहा। फुटरीया देवी एवम् दाखुदेवी का निंवसीयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उनका हक हिस्सा प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 व गेरीदेवी में निहित हो चुका है, जिसके अनुसार ही गेरीदेवी ने अपना 1/3 हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में हकत्याग कर हकतर्कनामे का दस्तावेज निष्पादित किया गया, जिस हकतर्कनामे के दस्तावेज से भी प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 1 का वादस्थ कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्त का आता है, जिस अधिकार के तहत ही अप्रार्थी संख्या 1 ने वादस्थ कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा व बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 एवम् सभी वारिसानो ने प्रार्थी के पक्ष में परिवार समाज के मौजिज सक्ष्यान की उपस्थिति में उक्त भूमि प्रार्थी की है तथा जरूरत पड़ने पर जमाबन्दी से नाम हटवाने बाबत् जो भी उचित कार्यवाही होगी वह कर दी जायेगी। सम्पूर्ण तथ्य मनगढ़त आधारो पर अंकित किये गये है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि दाखु देवी एवम् फुटरीया देवी की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि मौखिक रूप से तर्क कर कब्जा प्रार्थी का ही माना था, जो कतई सम्भव नही है, किसी भी अचल सम्पति का हकतर्कनामा मौखिक रूप से कतई नही किया जा सकता। हकतर्कनामा के दस्तावेज लिखित में तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज होना आज्ञापक है। प्रार्थी मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से को हड़प करने के उद्देश्य से दाखु देवी एवम् फुटरीया देवी का मौखिक हकतर्क अपने पक्ष में निष्पादित करना बता रहे है, जो कतई सम्भव नही है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 एक को भी हकतर्कनामा निष्पादित करने को कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बीमार होने का बहाना बना कर मैं बाद में कर दूंगी का कह कर टालम टोल कर दिया, अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

या 1 ने अपने हक हिस्से का हकतर्कनामा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करने हेतु कतई नहीं कहा और न ही अप्रार्थी संख्या 1 कभी भी बीमार रही। प्रार्थी के द्वारा तथ्य मनगढत आधारो पर अंकित किये है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में कतई नहीं है क्योंकि उक्त वादस्थ कृषि भूमि स्व. सेसाराम की हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 1 स्व. सेसाराम की जायन्दा पुत्री तथा प्रथम श्रेणी की विधिक उतराधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 की माता दाखु देवी तथा बहिन फुटरीया का भी निर्वसीयती स्वर्गवास हो चुका है तथा फुटरीया देवी द्वारा अपने एकमात्र पुत्र शांतिलाल को स्व. सेसाराम को गोद दिये जाने के पश्चात् फुटरीया देवी के प्रथम श्रेणी का कोई विधिक उतराधिकारी, विधिक वारिसान नहीं होने से फुटरीया देवी का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 में निहित हो जाने से अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्त का आता है, जिस हक हिस्से का उपयोग व उपभोग करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कानूनन वैध अधिकार प्राप्त है, इसलिये प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णिय क्षति और सुविधा का संतुलन कतई नहीं होने से प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 एक के विरूद्ध वादस्थ कृषि भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, इसलिये प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योय है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

अप्रार्थी सं0 02 को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया जाता हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात की कृषि भूमि प्रार्थी के गोद पिता स्व0 सेसाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित थी, स्व0 सेसाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही गोदनामा लिखवाते समय ही संपुर्ण सम्पति प्रार्थी को सुपुर्द कर दी थी तथा समाज की राव की बहि में लिखत कर दी थी। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 कमला एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पति के अंगुष्ठ निशान है। तब से प्रार्थी स्व0 सेसाराम के दत्तक पुत्र की हैसियत से वादस्थ कृषि भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं। जिसमें कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 व उसके वारिसान द्वारा उज एतराज नहीं किया गया हैं लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो चुकी है व येनकेन प्रकारेण प्रार्थी संख्या 1 को अपनी माता फुटरीयादेवी व गौद माता दाखुदेवी से प्राप्त हक हिस्से को लाठी लकड़ी के बल पर हड़प करना चाहती है जिसका कि अप्रार्थी संख्या 1 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा स्व0 सेसाराम के स्वर्गवास के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश अप्रार्थी सं0 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर लिया गया, उक्त अवैध प्रविष्ठि के आधार पर अप्रार्थी सं0 01 द्वारा अपना 1/3 हक हिस्सा क्लैम कर बंटवाड़े का दावा पेश किया हैं। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का वादस्थ भूमि में कतई 1/3 हिस्सा नहीं बनता हैं मात्र अप्रार्थी संख्या 1 लाठी लकड़ी के बल पर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि व अपनी माता दाखुदेवी व जायन्दा माता फुटरीया देवी से प्राप्त हक हिस्से व गेरकीदेवी से जरिये हकतर्क में प्राप्तसुदा भूमि को हड़पना चाहती हैं जिसका कि अप्रार्थी संख्या 1 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। लिहाजा प्रार्थी का उक्त प्रा0त्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्थ भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया हैं।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्थ कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 01 के पिता स्व0 सेसाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित थी, स्व0 सेसाराम के निर्वसीयती स्वर्गवास के पश्चात् विरासत के नामा0 द्वारा स्व0 सेसाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान पुत्रियां फुटरिया देवी, गेरकी देवी, कमला देवी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। गेरकी देवी द्वारा अपना 1/3 हक हिस्सा मानते हुए प्रार्थी के पक्ष में हकर्तनामा निष्पादित किया गया। इससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं0 01 का वादग्रस्थ कृषि भूमि में 1/3 हक हिस्सा बनता हैं। प्रार्थी का यह कहना कि स्व0 सेसाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही गोदनामा लिखवाते समय ही संपुर्ण सम्पति प्रार्थी को सुपुर्द कर दी थी तथा समाज की राव की

उपखण्ड अधिकारी,

में लिखत कर दी थी। लेकिन भाट की बही में यह उल्लेख नहीं किया है कि सेसाराम की सम्पूर्ण सम्पति शान्तिलाल के नाम होगी तथा न ही प्रार्थी वकील द्वारा इसका हिन्दी अनुवाद पेश किया हैं। गेरकी देवी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में अपना 1/3 हक हिस्सा मानते हुए किये गये हकतर्कनामा रेकर्ड है। गेरकी द्वारा झूठा शपथ पत्र न्यायालय में पेश किया है। अन्य शपथ पत्र उनके रिश्तेदारों के ही हैं। प्रार्थी द्वारा गलत व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रा0पत्र पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तथा उक्त आदेश की आड़ में अप्रार्थी सं0 01 को मौके पर जाने व फसल काटने से रोक रहा हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति भी अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में हैं। जिससे प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र कतई स्वीकार योग्य नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र मंगढ़त व आधारहीन होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादग्रस्थ भूमि प्रार्थी को अपने गोद पिता स्व0 सेसाराम से प्राप्त होना बताकर खातेदारी घोषणा का काउण्टर वाद तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रा0पत्र पेश किया हैं और बताया कि स्व0 सेसाराम के जीवनकाल में ही प्रार्थी को समाज के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में गोद ले लिया गया तथा समाज के भाट की बही में अंकित किया गया। जिसमें अप्रार्थी सं0 01 व उसके पति के अंगुष्ठ निशान है, तब से प्रार्थी का वादग्रस्थ कृषि भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। स्व0 सेसाराम की जायंदा पुत्री गेरकी देवी द्वारा भी प्रार्थी के पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित करवा दिया। जिसके जवाब में वकील अप्रार्थी सं0 01 द्वारा यह कहना कि उक्त भूमि उनके जायंदा पिता की खातेदारी कब्जा की सम्पति थी। स्व0 सेसाराम के निर्वसीयती स्वर्गवास के पश्चात् विरासत के नामा0 द्वारा अप्रार्थी सं0 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया तथा अप्रार्थी सं0 01 की जायंदा माता दाखुदेवी के भी निर्वसीयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् अप्रार्थी सं0 01 द्वारा अपने 1/3 हक हिस्से के आधार पर अप्रार्थी सं0 01 द्वारा बंटवाड़े का दावा पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा न तो यह बताया गया कि भाट की बही में कहां पर वादग्रस्थ कृषि भूमि के संबंधी उल्लेख किया गया है और न ही भाट की बही का हिन्दी अनुवाद पेश किया गया। यघपि पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य/सबूतो के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रार्थी शान्तिलाल के गोदीपुत्र की हैशियत के आधार पर हक अधिकार तय किया जाना साक्ष्य का विषय हैं। लेकिन अप्रार्थी सं0 01 स्व0 सेसाराम की जायंदा पुत्री तथा प्रथम श्रेणी की विधिक वारिशान की हैशियत से राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राजसुदा हैं। जिससे अप्रार्थी सं0 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में सिद्ध होते है। लिहाजा वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रस्तुत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रा0पत्र एवं बहस वकुलाय पर गौर व मनन करने के उपरांत प्रार्थी का प्रस्तुत उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 15/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)